न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 01 / 2023

अनवान : –

1. पवन कुमार पुत्र भागचन्द जाति जाट निवासी डाबडी त0 भादरा
2. मन्जू बाला पुत्री भागचन्द जाति जाट निवासी डाबडी त0 भादरा

अपीलार्थी

बनाम्

1. ग्राम पंचायत डाबड़ी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत डाबड़ी त0 भादरा। रेस्पोडेन्टस

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 75 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :–श्री प्रेमप्रकाश झोरड़ अपीलार्थी

निर्णय

दिनांक: 13.6.23

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा डाबड़ी के खाता सं0 220 / 117 की कुल 7.7900है0 बारानी में अपीलार्थी सं0 1 का 2597 / 15580 हिस्सा व अपीलार्थी सं0 2 का 2597 / 15580 हिस्सा है। अपीलार्थीगण के माता–पिता का देहान्त होने पर खातेदारी में भागचन्द के हिस्से पर विरासतन नामान्तरण सं0 3053 दिनांक 29.11.2022 को दर्ज कर 01.12ण2022 को अपीलार्थी के पक्ष में तस्दीक किया गया। लेकिन बिना किसी आधार के ही ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नामान्तरण दिनांक 06.02.2023 को अपास्त कर दिया गया। इसलिए अपास्त किये गये नामान्तरण को पुन बहाल किया जावें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस को सम्मन तलब किया गया। समन तामिल होने के बाद रेस्पोडेन्टस सं0 1 की तामिल होने पर भी हाजिर अदालत नही होने के कारण उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस वकील अपीलार्थीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि रोही मौजा डाबड़ी के खाता सं0 220 / 117 की कुल 7.7900है0 बारानी में अपीलार्थी सं0 1 का 2597 / 15580 हिस्सा व अपीलार्थी सं0 2 का 2597 / 15580 हिस्सा है, प्रार्थी के पिता का देहान्त होने पर उपरोक्त विवादित भूमि का विरासतन नामान्तरण अपीलार्थीगण के पक्ष में ना0सं0 3053 दिनांक 29.11.2022 के पक्ष में तस्दीक किया गया। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा अपीलार्थीगण को मृतक भागचन्द के वारिस नहीं मानते हुए उक्त नामान्तरण को दिनांक 06.02.2023 को विना किसी आधार के ही खारिज कर दिया गया। अपीलार्थीगण द्वारा समस्त दस्तावेजात जिनमें अपीलार्थी के पिता भागचन्द होना अंकित है पेश किये गये थे। इस प्रकार अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर नामान्तरण स0 3053 दिनांक 29.11.2022 को पुनः बहाल किये जाने का निवेदन है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:43:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

78

5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया गया। रेस्पोन्डेन्टस द्वारा दिनांक 06.02.2023 को अपीलार्थीगण के पक्ष में तस्दीक किये नामान्तरण को खारिज किया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात में पिता भागचन्द दर्ज है। इस प्रकार नामान्तरण खारिज/अस्वीकार किये जाने पर अपीलार्थी के हित प्रभावित हुए है। इसलिए मुताबिक दस्तावेजात तथा अपरोक्त विवेचानुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार की जाती है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा तथा ग्राम पंचायत डाबड़ी को निर्देशित किया जाता है कि उनके द्वारा पुनः नामान्तरण रजिस्ट्रर खोला जाकर विधिसंगत नामान्तरण सं0 3053 दिनांक 29.11.2022 पर अपीलार्थीगण को सुना जाकर नामान्तरण तस्दीक किये जाने की कार्यवाही कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करे।

निर्णय आज दिनांक 13.6.23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:43:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner